



पूर्व तट रेलवे/EAST COAST RAILWAY
मुख्यालय कार्यालय, कार्मिक विभाग, रेल सदन, साउथ ब्लॉक भुवनेश्वर
**Headquarters Office, Personnel Department, Rail Sadan,
South Block Bhubaneswar-751017**



No.ECoR/Pers/R/VDA

Date: 07.05.2026

ALL PHODs/CHODs,
DRMs/CWM
CAO (Con)/BBS & WAT.
East Coast Railway.

Sub: Revision of rates of the Variable Dearness Allowance (VDA) for contract workers engaged in various employment/activities w.e.f. 01.04.2026.

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड पत्र सं. 2020/E(LL)/AT/MW/2, दिनांक 05.05.2026 की प्रति लिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of Railway Board's Letter No.- 2020/E(LL)/AT/MW/2, dated 05.05.2026 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above,


(Subash Chandra Hota)
Assistant Personnel Officer-I
for Principal Chief Personnel Officer

Copy to:-

1. Secretary to GM for kind information of GM.
2. Secretary to AGM for kind information of AGM
3. Chairman RRB & RRC-BBS,
4. Dy.CPOs/Sr.DPOs, DPOs/SPOs, WPO/APOs of Personnel Department,
5. General Secretary- ECoRSC & ECoRSU.


for Principal Chief Personnel Officer

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD

RBE No. 37/2026

No. 2020/E(LL)/AT/MW/2

New Delhi dated: 05.05.2026

**The General Managers,
All Zonal Railways and Production Units,
Metro Railway/Kolkata, CORE/Prayagraj,
The CAO (Construction), All Indian Railways,
The Director General, RDSO/Lucknow,
The DG/National Academy of Indian Railways, Vadodara,
The DGs/IRICEN, IRIEEN, IRISSET, IRIMEE, IRITM,
The CAO, Rail Coach Factory / Raebareli,
The CAO, Rail Wheel Plant, Bela.**

Sub: Revision of rates of the Variable Dearness Allowance (VDA) for contract workers engaged in various employment/activities w.e.f. 01.04.2026.

Office of Central Labour Commissioner (C)/Ministry of Labour & Employment have issued orders Nos. (i) 1/6(1)/2025-LS-II (ii) 1/6(2)/2025-LS-II (iii) 1/6(3)/2025-LS-II (iv) 1/6(4)/2025-LS-II (v) 1/6(5)/2025-LS-II (vi) 1/6(6)/2025-LS-II & (vii) 1/6(7)/2025-LS-II, all are dated 30.03.2026 revising the rates of variable dearness allowance for contract workers engaged in (i) Agriculture (ii) Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines (iii) Construction or Maintenance of Roads or runways or in Building Operations including Laying Down Underground electric, wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and Similar other Underground cabling work, Electric lines, Water supply lines and Sewerage Pipe Lines (iv) Loading and unloading in (a) Goods sheds, parcel offices of Railways, (b) other Goods-sheds, go-downs, warehouses and other similar employments; (c) Docks and Ports; And (d) Passengers and Goods and Cargo Carried out at Airports (Both International and Domestic) (v) Employment of sweeping and cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (vi) Watch and Ward (With arms and without arms) and (vii) Stone Mines are enclosed herewith for information and strict compliance. **The**

rates will be applicable w.e.f. 01.04.2026.

2. Railways, being Principal Employer, are required to ensure that the contractors are complying with the provisions of the Contract Labour (R&A) Act, 1970 and Minimum wages Act, 1948 strictly and arranging prescribed minimum wages to the contract labourers.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

Kapasi
(Peeyush Kapasi)
Director Estt (LL)
Railway Board
Tele No.011-23047249

No. 2020/E(LL)/AT/MW/2 New Delhi dated: 05.05.2026

1. PFAs, All Zonal Railways and Production Units
2. Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways),
Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (10 spares).

Sharma
05.5.2026
for Member Finance Railway Board

No. 2020/E (LL)/AT/MW/2 New Delhi dated: 05.05.2026

1. The General Secretary, AIRF, NFIR (10 spares)
2. The Secretary General, IRPOF, FROA, AIRPFA (2 spares)
3. The General Secretary, AISC & ST Railway Employees Association.

Chauhan
5/5/2026
for Principal Executive Director(IR)/Railway Board

Copy to: - JS, EDCE(G), EDCE(P), D(FM), DTC(R), DS(G), D/EnHM, DDF(E)I, F(E) I, E(NG)II, CE-I, TG-IV, Fuel, E (Rep) II and Stationery Branch, Railway Board.

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 37/2026

सं. 2020/ई(एलएल)/एटी/एमडब्ल्यू/2

नई दिल्ली, दिनांक: 05.05.2026

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां,
मेट्रो रेल कोलकाता, रेल विद्युतीकरण/प्रयागराज,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), सभी क्षेत्रीय रेलें,
महानिदेशक, आरडीएसओ/लखनऊ,
महानिदेशक/भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा,
महानिदेशक/इरीसेन, इरीन, इरिसेट, इरिमी, इरिटिम,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेल डिब्बा कारखाना/रायबरेली,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ रेल पहिया संयंत्र/बेला

विषय: 01.04.2026 से विभिन्न रोजगार/गतिविधियों में नियुक्त
संविदागत श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) की दरों में
संशोधन।

कृपया केन्द्रीय श्रम आयुक्त (सी)/श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 30.03.2026 को जारी आदेश सं.(i) 1/6(1)/2025-एलएस-II (ii) 1/6(2)/2025-एलएस-II (iii) 1/6(3)/2025-एलएस-II (iv) 1/6(4)/2025-एलएस-II (v) 1/6(5)/2025-एलएस-II (vi) 1/6(6)/2025-एलएस-II एवं (vii) 1/6 (7)/2025-एलएस-II के तहत (i) कृषि (ii) जिप्सम खानों, बैराइट खानों, बॉक्साइट खानों, मैंगनीज खानों, चाइना क्ले खानों, कायानाइट खानों, कॉपर खानों, क्ले खानों, मैग्नेसाइट खानों, सफेद मिट्टी की खानों, पत्थर की खानों, स्टेटाइट खानों (जिनमें साबुन पत्थर और टैल्क उत्पादक खान शामिल हैं), ओक्रे खानों, एस्बेस्टस खानों, फायर क्ले खानों, क्रोमाइट खानों, क्वाटर्जाइट खानों, क्वाटर्ज खानों, सिलिका खानों, ग्रेफाइट खानों, फेल्सपार खानों, लेटराइट खानों, डोलोमाइट खानों, रेड ऑक्साइड खानों, वोल्फ्राम खानों, लोह अयस्क खानों, ग्रेनाइट खानों, रॉक फॉस्फेट खानों, हीमैटाइट खानों, संगमरमर और कैल्साइट खानों, यूरेनियम खानों, अभ्रक खानों, लिग्नाइट खानों, ग्रेवेल खानों, स्लेट खानों और मैग्नेटाइट खानों (iii) सड़कों या रनवे या भवन संचालन निर्माण या रखरखाव, जिनमें भूमिगत इलेक्ट्रिक, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और समुद्रपार संचार केबलों और इसी प्रकार के अन्य भूमिगत केबलिंग कार्य, इलेक्ट्रिक लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइन बिछाने (iv) लदान और उतराई (क) रेलवे के गुड्स शेड, पासेल कार्यालय, (ख) अन्य गुड्स शेड, गो-डाउन, गोदामों, मालगोदामों और अन्य समान रोजगार; (ग) डॉक एवं बंदरगाह; और (घ) एयरपोर्ट पर (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) यात्रियों और माल और कार्गो का परिवहन (v) सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय (प्रतिषेध) अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रतिबंधित क्रियाकलापों को छोड़कर सफाई और स्वच्छता में नियोजन (vi) वाच एंड वाई (हथियार सहित और हथियार रहित) और (vii) पत्थर की खानों में नियुक्त संविदागत श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों को संशोधित किया गया है और आपकी सूचना और कड़ाई से अनुपालन के लिए सलग्न हैं। ये दरें 01.04.2026 से प्रभावी होंगी।

2. रेलें, प्रधान नियोक्ता होने के नाते, यह सुनिश्चित करें कि ठेकेदार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन कर रहे हैं और संविदागत श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी

का भुगतान किया जा रहा है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

(पीयूष कपासी)

(पीयूष कपासी)

निदेशक स्थापना (श्रम कानून)/रेलवे बोर्ड

दूरभाष सं. 011-23047249

सं. 2020/ई(एलएल)/एटी/एमडब्ल्यू/2

नई दिल्ली, दिनांक: 05.05.2026

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयां
2. भारत के उपनियंत्रक और महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)

(शशि)
05.5.2026

कृते सदस्य वित्त रेलवे बोर्ड

सं. 2020/ई(एलएल)/एटी/एमडब्ल्यू/2

नई दिल्ली, दिनांक: 05.05.2026

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, एनएफआईआर (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, एफआरओए, एआईआरपीएफए (2 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एवं एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसिएशन।

(शशि)
05/5/2026

कृते प्रधान कार्यकारी निदेशक (औद्योगिक संबंध) /रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: संयुक्त सचिव, कार्यपालक निदेशक सिविल इंजीनियरी (जी), कार्यपालक निदेशक सिविल इंजीनियरी (पी), निदेशक (एफएम), निदेशक यातायात वाणिज्य (दर), उप सचिव (सामान्य), निदेशक/ईएनएचएम, उपनिदेशक वित्त(ई)।, एफ(ई)।, स्था.(एनजी)-II, सिविल इंजीनियरी-I, टीजी-IV, फ्यूल, ई (रिप) II और लेखन-सामग्री शाखा रेलवे बोर्ड।

File No.1/6(1)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 30/03/2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 186(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance for the employees employed in **Agriculture** w.e.f. **01.04.2026** on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 424.80 from 413.52 as on 31.12.2025 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.28 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2026:-

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	'A'	'B'	'C'
Unskilled	195	180	178
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	214	195	181
Skilled/Clerical	232	214	195
Highly Skilled	256	238	214

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2026 to the employees working in Agriculture shall be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	333+195=528	303+180=483	300+178=478
Semi- Skilled/Unskilled Supervisory	364+214=578	335+195=530	307+181=488
Skilled/Clerical	395+232=627	364+214=578	334+195=529
Highly Skilled	438+256=694	407+238=645	364+214=578

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and shall remain in force till the corresponding order is issued in pursuance of sub-section (2) of section 7 of the said Code



(Sonal Mishra)

Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/6(2)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 30/03/2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 187(E) dated 19.01.2017 and subsequent amendment notification No. S.O. 2413(E) dated 28th July, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 424.80 from 413.52 as on 31.12.2025 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.28 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2026; -

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in employments in **Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines.**

Category of worker	Rates of V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	206	256
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	256	304
Skilled/ Clerical	304	354
Highly Skilled	354	395

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance Payable w.e.f. 01.04.2026 will be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	350+206=556	437+256=693
Semi-Skilled/ Unskilled Supervisory	437+256=693	523+304=827
Skilled/ Clerical	523+304=827	610+354=964
Highly Skilled	610+354=964	683+395=1078

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and shall remain in force till the corresponding order is issued in pursuance of sub-section (2) of section 7 of the said Code.



(Sonal Mishra)
Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/6(3)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 30/03/2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 188(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 424.80 from 413.52 as on 31.12.2025 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.28 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2026:-

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR RUNWAYS OR IN BUILDING OPERATIONS INCLUDING LAYING DOWN UNDERGROUND ELECTRIC, WIRELESS, RADIO, TELEVISION, TELEPHONE, TELEGRAPH AND OVERSEAS COMMUNICATION CABLES AND SIMILAR OTHER UNDERGROUND CABLING WORK, ELECTRIC LINES, WATER SUPPLY LINES AND SEWERAGE PIPE LINES.**

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	304	256	206
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	339	287	240
Skilled/Clerical	371	339	287
Highly Skilled	401	371	339

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2026 will be as under :-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. per day (in Rupees)		
	A Area	B Area	C Area
Unskilled	523+304=827	437+256=693	350+206=556
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	579+339=918	494+287=781	410+240=650
Skilled/ Clerical	637+371=1008	579+339=918	494+287=781
Highly Skilled	693+401=1094	637+371=1008	579+339=918

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and shall remain in force till the corresponding order is issued in pursuance of sub-section (2) of section 7 of the said Code.



(Sonal Mishra)

Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/6(4)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 30/03/2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 192(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 424.80 from 413.52 as on 31.12.2025 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.28 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2026;-

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in loading and unloading in **(i) Goods sheds, Parcel Offices of Railways, (ii) Other Goods-Sheds, Go-downs, Warehouses and other similar employments ; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passengers and Goods and Cargo Carried out at Airports (both international and domestic).**

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2026 to the employees shall be as under:-

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (IN RS.)
'A'	304
'B'	256
'C'	206

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.4.2026 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D. A. PER DAY			
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A. (Rs.)	Total (Rs.)
'A'	523	+	304	= 827
'B'	437	+	256	= 693
'C'	350	+	206	= 556

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and shall remain in force till the corresponding order is issued in pursuance of sub-section (2) of section 7 of the said Code.



(Sonal Mishra)

Chief Labour Commissioner(C)

File. No.1/6(5)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 30/03/2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 190(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 424.80 from 413.52 as on 31.12.2025 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.28 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2026:-

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in “**Employment of Sweeping and Cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993**”.

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	304
B	256
C	206

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.4.2026 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY				
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A (Rs.)		Total (Rs.)
A	523	+	304	=	827
B	437	+	256	=	693
C	350	+	206	=	556

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and shall remain in force till the corresponding order is issued in pursuance of sub-section (2) of section 7 of the said Code.



(Sonal Mishra)
Chief Labour Commissioner(C)

File No.1/6(6)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 30/03/2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 191(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 424.80 from 413.52 as on 31.12.2025 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.28 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2026:-

I. The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **WATCH & WARD (without arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	371
B	339
C	287

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.04.2026 to employees employed in **WATCH AND WARD (without arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY			
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A. (Rs.)	Total (Rs.)
A	637	+	371	= 1008
B	579	+	339	= 918
C	494	+	287	= 781

II. The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF VDA PER DAY (in Rs.)
A	401
B	371
C	339

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2026 to employees employed in **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS VDA PER DAY			
	Basic Wages (Rs.)		VDA. (Rs.)	Total (Rs.)
A	693	+	401	= 1094
B	637	+	371	= 1008
C	579	+	339	= 918

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and shall remain in force till the corresponding order is issued in pursuance of sub-section (2) of section 7 of the said Code.


(Sonal Mishra)
Chief Labour Commissioner(C)

File No.1/6(7)2025 LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 30/03/2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 189(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 424.80 from 413.52 as on 31.12.2025 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.28 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2026;-

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in "STONE MINES" shall be as under:-

Item of work	Rates of Variable Dearness Allowance as on 01.04.2026
1. Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	
(i) Soft Soil .	Rs.209
(ii) Soft Soil with rock	Rs.310
(ii) Rock	Rs.410
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 metres lead/ 1.5 Metres lift. *	Rs.167
3. Stone breaking or Stone Crushing for the Stone size of:-	
1.0 inch to 1.5 inches	Rs.1243
Above 1.5 inches to 3.0 inches	Rs.1063
Above 3.0 inches to 5.0 inches	Rs.627
Above 5.0 inches	Rs.517

Therefore, the minimum piece rate wages showing the basic and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2026 to the employees employed in Stone Mines shall be as under:-

Category	Basic wages	VDA	Total
1. Excavation & removal of overburden with 50 meters Lead/1.5 Meters lift. *			
(i) Soft Soil	Rs.351	+ Rs.209	= Rs. 560
(ii) Soft Soil with rock	Rs.531	+ Rs.310	= Rs. 841
(iii) Rock	Rs.703	+ Rs.410	= Rs.1113
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	Rs. 283	+ Rs.167	= Rs.450

3. Stone Breaking or Stone Crushing for stone size of category **

	Basic Wages	VDA	Total
(i) 1.0 inch to 1.5 inches	Rs.2171	+ Rs.1243	= Rs.3414
(ii) Above 1.5 inches to 3.0 inches	Rs.1857	+ Rs.1063	= Rs.2920
(iii) Above 3.0 inches to 5.0 inches	Rs.1088	+ Rs.627	= Rs.1715
(iv) Above 5.0 inches	Rs.893	+ Rs.517	= Rs.1410

The workers employed on minimum guaranteed time rate of wages per day shall be entitled to time rate of minimum wages plus special allowance, if any, for unskilled category of above ground workers revised from time to time by the Central Government in respect of scheduled employment in stone mines.

* Per 2.831 cube meters (100 cubic feet)

** Per truck load of 5.662 cubic meters (200 cubic feet)

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and shall remain in force till the corresponding order is issued in pursuance of sub-section (2) of section 7 of the said Code.


(Sonal Mishra)
Chief Labour Commissioner(C)

ANNEXURE

CLASSIFICATION OF AREAS

AREA – “A”					
Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	(M.Corpn)
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	(UA)
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)	Noida	
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	(M. Corpn)
Navi Mumbai	(UA)	Pune	(UA)		
AREA – “B”					
Agra	(UA)	Gwalior	(UA)	Port Blair	(UA)
Ajmer	(UA)	Hubli-Dharwad	(M. Corpn)	Puducherry	(UA)
Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M.Corpn)	Jaipur	(M.Corpn)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M.Corpn)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M.Corpn)
Bhopal	(UA)	Kannur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneswar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M.Corpn)	Kolhapur	(UA)	Thiruvananthapuram	(UA)
Bokaro Steel City	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)
Chandigarh	(UA)	Kota	(M.Corpn)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M.Corpn)	Ujjain	(M.Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M.Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M.Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)		
Gorakhpur	(UA)	NandedWaghala	(M. Corpn)		
Greater Visakhapatnam	(M.Corpn)	Nasik	(UA)		
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)		
Guntur	(UA)	Panchkula	(UA)		
Guwahati	(UA)	Patna	(UA)		

Note 1.-Area ‘C’ shall comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.

Note 2.- U.A. means Urban Agglomeration.

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 186(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 31.12.2025 (आधार वर्ष 2016=100) को 413.52 से 424.80 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.28 अंकों की बढ़त होने के आधार पर ने एतद्वारा दिनांक 01.04.2026 से कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.04.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

कामगारों की श्रेणी	दैनिक क्षेत्रवार वी. डी. ए. की दरें (रुपये में)		
	'क'	'ख'	'ग'
अकुशल	195	180	178
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	214	195	181
कुशल/ लिपिकीय	232	214	195
अति कुशल	256	238	214

अतः, कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2026 से देय मूल दर सहित भत्ते की न्यूनतम दर और परिवर्ती महंगाई भत्ता इस प्रकार होंगे:-

कामगारों की श्रेणी	वी .डी.ए.सहित मजदूरी की दरें क्षेत्रवार प्रतिदिन (रुपये में)		
	'क'	'ख'	'ग'
अकुशल	333+ 195=528	303+ 180=483	300+ 178=478
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	364+ 214=578	335+ 195=530	307+ 181=488
कुशल/ लिपिकीय	395+ 232=627	364+ 214=578	334+ 195=529
अति कुशल	438+256=694	407+238=645	364+ 214=578

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है और यह उक्त संहिता की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण में आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगी।

सोनल मिश्रा

(सोनल मिश्रा)

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) का कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 30/03/2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 187(ई) और दिनांक 28 जुलाई, 2017 की अनुवर्ती संशोधित अधिसूचना सं. एस.ओ. 2413 (ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 31.12.2025 (आधार वर्ष 2016=100) को 413.52 से 424.80 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.28 अंकों की बढ़ोतरी के आधार पर ने एतद्वारा परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.04.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

जिप्सम खान, बैराइट खान, बॉक्साइट खान, मैंगनीज खान, चाइना क्ले खान, कायनाइट खान, तांबा खान, क्ले खान, मैग्नेसाइट खान, सफेद मिट्टी खान, पत्थर खान, स्टीटाइट खान (सोप स्टोन और टैल्क का उत्पादन करने वाली खानों सहित), गेरु खान, एस्बेस्टस खान, आग मिट्टी की खान, क्रोमाइट खान, क्वार्ट्जाइट खान, क्वार्ट्ज खान, सिलिका खान, ग्रेफाइट खान, फेलस्पार खान, लैंटेराइट खान, डोलोमाइट खान, रेड ऑक्साइड खान, वोल्फराम खान, लौह अयस्क खान, ग्रेनाइट खान, रॉक फॉस्फेट खान, हेमेटाइट खान, संगमरमर और कैल्साइट खान, यूरेनियम खान, अभ्रक खान, लिग्नाइट खान, बजरी ब्लूज, स्लेट खान और मैग्नेटाइट खान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें:

कामगारों की श्रेणी	क्षेत्रवार प्रतिदिन वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)	
	भूमि से ऊपर कार्य के लिए	भूमि से नीचे कार्य के लिए
अकुशल	206	256
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	256	304
कुशल/ लिपिकीय	304	354
अति कुशल	354	395

अतः, दिनांक 01.04.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

कामगारों की श्रेणी	क्षेत्रवार प्रतिदिन वी.डी.ए.सहित मजदूरी की दरें (रुपयों में)	
	भूमि से ऊपर कार्य के लिए	भूमि से नीचे कार्य के लिए
अकुशल	350+206=556	437+256=693
अर्ध-कुशल/ अकुशल पर्यवेक्षी	437+256=693	523+304=827
कुशल/लिपिकीय	523+304=827	610+354=964
अति कुशल	610+354=964	683+395=1078

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मचारों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है और यह उक्त संहिता की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण में आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगी।

सोनल मिश्रा

(सोनल मिश्रा)

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) का कार्यालय
नई दिल्ली

दिनांक: 30/03/2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 188(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 31.12.2025 (आधार वर्ष 2016=100) को 413.52 से 424.80 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.28 अंकों की बढ़त होने के आधार पर ने एतद्वारा परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.04.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेशी संचार केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबलिंग कार्य, बिजली लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइनों सहित भवन निर्माण कार्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें।

कामगारों की श्रेणी	क्षेत्रवार प्रतिदिन वी.डी.ए की दरें (रुपये में)		
	'क'	'ख'	'ग'
अकुशल	304	256	206
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	339	287	240
कुशल/ लिपिकीय	371	339	287
अति कुशल	401	371	339

अतः, दिनांक 01.04.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

कामगारों की श्रेणी	प्रतिदिन वी.डी.ए सहित मजदूरी की दरें (रुपये में)		
	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
अकुशल	523+304=827	437+256=693	350+206=556
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	579+339=918	494+287=781	410+240=650
कुशल/ लिपिकीय	637+371=1008	579+339=918	494+287=781
अति कुशल	693+401=1094	637+371=1008	579+339=918

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाता है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है और यह उक्त संहिता की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण में आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगी।

सोनल मिश्रा

(सोनल मिश्रा)

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मुख्य श्रम आयुक्त (कै.) का कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 30/03/2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 192(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 31.12.2025 (आधार वर्ष 2016=100) को 413.52 से 424.80 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.28 अंकों की बढ़त होने के आधार पर ने एतद्वारा परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.04.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

(i) गुड्स शेड, रेलवे के पार्सल कार्यालय, (ii) अन्य गुड्स-शेड, गो-डाउन, गोदाम और अन्य समान रोजगार में लोडिंग और अनलोडिंग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वी.डी.ए. की दरें; (iii) डॉक एवं पोर्ट्स और (iv) हवाई अड्डों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) पर यात्रियों और माल और कार्गो की ढुलाई में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वी.डी.ए. की दरें।

अतः दिनांक 01.04.2026 से कर्मचारियों को देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	प्रतिदिन वी.डी.ए की दरें (रुपयों में)
‘क’	304
‘ख’	256
‘ग’	206

अतः, दिनांक 01.04.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	मूल मजदूरी (रुपये)	प्रतिदिन वी.डी.ए सहित परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (रुपये)	कुल (रुपये)
‘क’	523	304	827
‘ख’	437	256	693
‘ग’	350	206	556

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है और यह उक्त संहिता की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण में आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगी।

सोनल मिश्रा

(सोनल मिश्रा)

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

सं. 1/6(5)/2025-एलएस II

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 30/03/2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 190(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वीडीए) के दिनांक 31.12.2025 (आधार वर्ष 2016=100) को 413.52 से 424.80 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.28 अंकों की बढ़ोतरी होने के आधार पर ने एतद्वारा परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया है। दिनांक 01.04.2026 से देय परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निषेध क्रियाकलापों के अलावा झाड़ू लगाने और सफाई करने के नियोजन में कार्यरत कर्मचारियों हेतु वी.डी.ए. की दरें

क्षेत्र	दैनिक वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)
क	304
ख	256
ग	206

दिनांक 01.04.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक आधार पर मजदूरी दर+ वी.डी.ए.				कुल
	मूल मजदूरी		वी.डी.ए.		
	(रुपयों में)		(रुपयों में)		(रुपयों में)
क	523	+	304	=	827
ख	437	+	256	=	693
ग	350	+	206	=	556

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के अंतर्गत कामगारों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I में दिए अनुसार होगा, जबकि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख एवं ग के अनुरूप सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ़ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है और यह उक्त संहिता की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण में आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगी।

सोनल मिश्रा

(सोनल मिश्रा)

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

दिनांक: 30/03/2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 191(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वीडीए) के दिनांक 31.12.2025 (आधार वर्ष 2016=100) को 413.52 से 424.80 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.28 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्वारा परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.04.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

I. वीडीए की दरें, वॉच एण्ड वार्ड (बिना हथियार के) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)
क	371
ख	339
ग	287

अतः दिनांक 01.04.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें वॉच एण्ड वार्ड (बिना हथियार के) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक आधार पर मजदूरी दर+ वी.डी.ए. मूल मजदूरी वी.डी.ए.(रुपयों में).कुल(रुपयों में) कुल (रुपयों में)			
क	637	+	371	= 1008
ख	579	+	339	= 918
ग	494	+	287	= 781

II. वीडीएकी दरें, वॉच एण्ड वार्ड (हथियार के साथ) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)
क	401
ख	371
ग	339

अतः दिनांक 01.04.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें वॉच एण्ड वार्ड (हथियार के साथ) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक आधार पर मजदूरी दर+ वी.डी.ए. मूल मजदूरी वी.डी.ए.(रुपयों में).कुल(रुपयों में)			
क	693	+	401	= 1094
ख	637	+	371	= 1008
ग	579	+	339	= 918

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के अंतर्गत कामगारों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I में दिए अनुसार होगा, जबकि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख एवं ग सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है और यह उक्त संहिता की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण में आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगी।

सोनल मिश्रा

(सोनल मिश्रा)

मुख्य श्रमायुक्त (कै.)

सं. 1/6(7)/2025-एलएस II

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 30/03/2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 189(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वीडीए) के दिनांक 31.12.2025 (आधार वर्ष 2016=100) को 413.52 से 424.80 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.28 अंकों की बढ़त होने के आधार पर ने एतद्वारा परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ता दिनांक 01.04.2026 से निम्नानुसार देय होगा:-

“पत्थर खानों” में कार्यरत कर्मचारियों हेतु वी.डी.ए. की दरें निम्नानुसार हैं:-

कार्य विवरण

दिनांक 01.04.2026 से

परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें

1. 50 मीटर लेड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ
अतिरिक्त भार की खुदाई व निष्कासन

(i) नर्म मिट्टी

रु. 209

(ii) चट्टान सहित नर्म मिट्टी

रु. 310

(iii) चट्टान

रु. 410

2. 50 मीटर लेड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ

रु. 167

अस्वीकृत पत्थरों का निष्कासन व ढेर लगाना

3. निम्नलिखित आकार के पत्थर हेतु

पत्थर तोड़ना या पत्थर पेराई:-

1.0 इंच से 1.5 इंच तक

रु. 1243

1.5 इंच के ऊपर से 3.0 इंच तक

रु. 1063

3.0 इंच के ऊपर से 5.0 इंच तक

रु. 627

5.0 इंच के ऊपर

रु. 517

अतः दिनांक 01.4.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें पत्थर खानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

श्रेणी	मूल मजदूरी	वीडीए	कुल
1. 50 मीटर लेड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ अतिरिक्त भार की खुदाई व निष्कासन (i) नर्म मिट्टी (ii) चट्टान सहित नर्म मिट्टी (iii) चट्टान	रु. 351 रु. 531 रु. 703	+ + +	रु. 209 = रु. 560 रु. 310 = रु. 841 रु. 410 = रु. 1113
2. 50 मीटर लेड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ अस्वीकृत पत्थरों का निष्कासन व ढेर लगाना	रु. 283	+ रु. 167	= रु. 450
3. निम्नलिखित आकार के पत्थर हेतु पत्थर तोड़ना या पत्थर पेराई:-	मूल मजदूरी	वीडीए	कुल
(i) 1.0 इंच से 1.5 इंच तक	रु. 2171	+ रु. 1243	= रु. 3414
(ii) 1.5 इंच के ऊपर से 3.0 इंच तक	रु. 1857	+ रु. 1063	= रु. 2920
(iii) 3.0 इंच के ऊपर से 5.0 इंच तक	रु. 1088	+ रु. 627	= रु. 1715
(iv) 5.0 इंच के ऊपर	रु. 893	+ रु. 517	= रु. 1410

दैनिक मजदूरी की न्यूनतम गारंटीकृत समय दर पर कार्यरत कामगार पत्थर खानों में अनुसूचित नियोजन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सतह के ऊपर काम करने वाले कामगारों के अकुशल वर्ग हेतु विशिष्ट भत्ते, यदि कोई है तो, के साथ न्यूनतम मजदूरी के समय दर के हकदार होंगे।

* प्रति 2.831 घन मीटर (100 घन फीट)

** 5.662 घन मीटर प्रति ट्रक भार (200 घन फीट)

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है और यह उक्त संहिता की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण में आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगी।

सोनल मिश्रा

(सोनल मिश्रा)

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

उपाबंध

क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्षेत्र - "अ"

अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स	(नगर निगम)
बंगलुरु	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	(यूए)
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
वृहत्त मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	(नगर निगम)
नवी मुंबई	(यूए)	पुणे	(यूए)		

क्षेत्र - "आ"

आगरा	(यूए)	स्वालिपर 1 (यूए)		पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हवेली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुडुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-छावनी	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सेलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगाँव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवंतपुरम्	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगाँव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)		
गोरखपुर	(यूए)	नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)		
वृहत्त विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)		
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)		
गुंटूर	(यूए)	पंचकुला	(यूए)		
गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)		

टिप्पण 1 : क्षेत्र "इ" ऐसे सभी क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, जो इस सूची में वर्णित नहीं हैं किंतु जिन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है।

टिप्पण 2 : यूए से शहरी समूह अभिप्रेत है।